फर्द अहकाम

न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी, चाकसू, जयपुर

सरकार बनाम हरिनारायण

मुकदमा संख्या /वर्ष : 245 /2013

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/4/24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या (3) को छोड़कर शेष की ओर से अधिवक्ता सत्यप्रकाश पारीक हाजिर। प्रतिवादी संख्या (3) की मृत्यु को तीन माह से अधिक समय हो चुका जानकारी के पश्चात भी वादी नियत समय सीमा में प्रतिवादी संख्या (3) के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है, अतः प्रतिवादी संख्या-3 के विरुद्ध वाद का उपशमन हो चुका है। प्रति. (3) को छोड़कर शेष के वादपत्र पर सुन लिए गए, वास्ते आदेश दिनांक 22/04/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	24/4/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है वादी के पक्ष वाद (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		विरुद्ध प्रतिपक्षी उस आशय का पेश किया है कि वादी ने विवादित भूमि ख.नं. 1877 ग्राम सूरजपुरा हूंगेली तह. चाकसू के खातेदार अधिकारी होते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन खनन कार्य हेतु किया है, अतः विवादित भूमि को भूमिधारी राज्य सरकार में निहित किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी ने प्रतिवाद करते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि पर कोई अवैध खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है, अतः अप्रार्थी/प्रतिवादी को बेदखल किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाते हैं कि तहसीलदार तह. चाकसू की रिपोर्ट

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		के अनुसार विवादित भूमि पर आंशिक भाग पर ईंट भट्टे की चिमनी स्थित है, जो वर्तमान में बन्द है, इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि के आंशिक भाग को गैर-कृषि उपयोग में लिया गया था। अतः वादी राज्य द्वारा जरिये सह. खनि. अभियन्ता खान एवं भू ~~विज्ञान~~ विज्ञान विभाग का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को हिदायत दी जाती है कि इस आदेश की समयकालीन से तीन माह के भीतर विवादित भूमि खसरा नं. 1877 ग्राम सूरजपुरा हूंगेली को पुनः कृषि उपयोग में परिवर्तित कर देंगे। यदि तीन माह पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस आदेश से सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करवाये	

उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड, चाकसू

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या /वर्ष : ____________________ /20 ______

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष वि
		गैर-कृषि उपयोग जारी रहता है, तो विवादित भूमि भूमिधारी यानी राज्य सरकार में निहित समझी जायेगी। इस आदेश की प्रति प्रतिवादीगणों को निःशुल्क जरिये रजि. डाक पावती द्वारा भिजवायी जावे। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से वक्त हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	